"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2018 — ज्येष्ठ 17, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7. — दिनांक 28-29 जून, 2012 को जिला बीजापुर के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सारकेगुड़ा एवं चिमलीपेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिये, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग को, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण समय-समय पर शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जाती रही है. विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-12-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 06 माह की वृद्धि की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 11-07-2018 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-07-2018 से दिनांक 11-01-2019 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.